वि. स. प्रश्न 2731 प्रपत्र - अ
सत्र जुलाई - 2016

प्रश्नोत्तरी सूची - फरवरी-मार्च 2015 सत्र
गुरुवार, दिनांक 19 मार्च 2015

44. (क्र. 3163) **श्री अजय सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 12 नलकूप खनन/स्थापना हेतु रूपये 31.352 लाख के कार्यों की विधायक निधि से प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसा उपरान्त संबंधित क्रियान्वयन विभाग कार्यपालन यंत्री महान परियोजना ई.एण्ड एम, लाइट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट डिवीजन सीधी द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में प्रश्नकर्ता द्वारा पुनः अनुशंसा पत्र क्रमांक 1786 दिनाँक 14.04.2014 एवं पत्र क्रमांक 80 दिनाँक 11.01.2014 के द्वारा आंशिक संशोधन कर संशोधित सूची प्रेषित करने के उपरांत कलेक्टर सीधी द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई ? (ग) निर्माण एजेन्सी कार्यपालन यंत्री महान परियोजना ई.एण्ड एम लाइट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट डिवीजन सीधी/रीवा के पास अनुपयोगी जमा राशि रूपये 31.352 लाख मय ब्याज सहित वापस लेकर संशोधित कार्यों की सूची (31 हैण्डपम्प एवं 09 विकास कार्य) अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (घ) विधान सभा क्षेत्र चुरहट में वित्त वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक वर्षवार पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की राशि सहित जानकारी दी जाये ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । उक्त निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत बारिगवां बाउन्ड्रीवाल निर्माण राशि 1.00 लाख ग्राम पंचायत कुश्परी गोदाम भवन निर्माण राशि 3.00 लाख स्वीकृत की गई । शेष कार्यों की क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्राकलन तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हो सकी । (ग) महान परियोजना लाईट मशीनरी सीधी द्वारा वर्क आई.डी. नहीं बनाये जाने के कारण प्रश्नाधीन राशि उनके डी.डी.ओ. कोड में जमा नहीं हुई है, बल्कि राशि शासन के खाते में जमा है । उक्त राशि का पूरक बजट में प्रावधान किया जाकर अनुशंसित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।